FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत .... मुकाम ....

शांतिलाल .... बनाम रामलाल

करम मुकदमा .... नं. 27/17 .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा बहस हेतु अवसर चाहा है पत्रावली अब बहस बटवारा प्रस्ताव पर दिनांक 5/8/19 को पेश हो।	
5/8/19 -	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी द्वारा प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी। वास्ते निर्णय दि० 14/8/19 को पेश हो।	
14/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। वादी वाद प्राथमिक डिक्री अनुसार वाद बाबत बंटवारा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर प्राथमिक डिक्री अनुसार वाद की अंतिम डिक्री जारी की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 14/8/19 सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 29/2017

शांतिलाल पिता गांगीलाल धाकड निवासी आंवलहेडा तहसील बेगूँ ....वादी

बनाम

1. रामलाल पिता परथिया धाकड निवासी आंवलहेडा तहसील बेगूँ
2. कन्हैयालाल पिता गांगीलाल धाकड निवासी आंवलहेडा तहसील बेगूँ
3. नन्दलाल पिता चेतराम धाकड निवासी आंवलहेडा तहसील बेगूँ
4. उंकार पिता चेतराम धाकड निवासी आंवलहेडा तहसील बेगूँ
5. लालुराम पिता चेतराम धाकड निवासी आंवलहेडा तहसील बेगूँ
6. नानालाल गुतबन्ना माता बरदीबाई पिता गोडा पति सोचन्द धाकड निवासी शादी तहसील बेगूँ
7. मेनेजर साहब, बडोदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा दुकराई तहसील बेगूँ
8. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय बेगूँ
9. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जरिये राजस्थान सरकार जयपुर जिला कार्यालय चित्तौड़गढ

.................प्रतिवादीगण

उपस्थित : गोपाल लाल गुरूजी
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक : 14.08.2019

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादपत्र वादी का अधिवक्ता श्री गोपाल लाल गुरूजी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती जमीन मौजा आंवलहेडा पटवार हल्का आंवलहेडा तहसील बेगूँ में स्थित होकर जिसके खाता संख्या 36 में वर्णित एवं खाता संख्या 387 कृषि आराजीयात कब्जे काश्त की होकर वादी एवं प्रतिवादीगण उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खाता संख्या 387 में वर्णित आराजीयात इस प्रकार है तथा उक्त खाते में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं वादी की बहिने कमलीबाई व सीताबाई, लाली बाई ने अपना हक हिस्सा शांतिलाल भाई जो वादी है के पक्ष में हकत्याग कर दिया जिससे कमली बाई, सीताबाई एवं लालीबाई को वाद में पक्षकार नही बनाया है एवं कैली बाई धर्मपत्नी मांगीलाल ने भी हकत्याग कर दिया है एंव एकमात्र वारिस शांतिलाल ही है तथा तीनो पुत्रियो ने हकत्याग कर दिया जिससे उक्त खाते में 1/2 हिस्सा वादी शांतिलाल का है एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। खाते का विवरण अ व ब में दर्शाया गया है–

"अ"

आराजी संख्या	रकबा हे0
72	0.6640
74	0.2910
205	2.7440
206	0.0650
240	0.3730
1027	0.1460

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला–चित्तौड़गढ़

1038	0.0310
1178	0.3000
1204	0.0730
1247	0.2750
1254	0.2430
1293	0.1540
1294	0.0890
1427	0.0240
1428	0.1130
1447	0.2430
1509	0.1380
1522	0.3560
कुल किता 18	रकबा 6.3220 हे0

"ब"

खाता संख्या 36 की आराजीयात निम्न प्रकार है :–

आराजी संख्या	रकबा हे0
258	0.3160
259	0.3400
कुल किता –2	0.6560

उक्त खाते में कन्हैयालाल नाबालिग नही होकर बालिग है इसलिए कन्हैयालाल का 1/4 हिस्सा है तथा कन्हैयालाल का पिता मांगीलाल जो फोत हो चुका है और मांगीलाल का एक मात्र वारिस कन्हैयालाल है जो प्रतिवादी संख्या 2 है एवं चेतराम भी फोत हो चुका है चेतराम के तीन पुत्र है जो क्रमशः नन्दलाल, उंकारलाल, लालुराम है जो प्रतिवादी संख्या 3,4,5 है इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही है तथा बरदीबाई भी फोत हो चुकी है बरदीबाई के एक मात्र वारिस नानालाल है जो गोदपुत्र प्रतिवादी संख्या 6 है तथा प्रतिवादी संख्या 3,4,5 का उक्त खाते में 1/24, 1/24, 1/24 हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8 हक हिस्सा है। मांगीलाल भी फोत हो चुका है जिनके वारिसान कमलीबाई, लालीबाई, सीताबाई है जिन्होने हकत्याग कर दिया है एवं मांगीलाल की धर्मपत्नी केली बाई ने भी हकत्याग करने से एक मात्र वारिस वादी शांतिलाल है इसी प्रकार खाते में वादी का 1/4 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा होकर इसी अनुसार काबीज होकर मौके पर काश्त कर हरे है तथा शांतिलाल वादी संख्या 1 के पक्ष में उनकी बहीने कमली, सीता बाई, लाली बाई ने एवं माता केली बाई धर्मपत्नी मांगीलाल ने भी हकत्याग कर दिया तथा बहीने व माता का हकत्याग कर देने से वादी का 1/4 हक हिस्सा वं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित "अ" व "ब" में वर्णित आराजीयात में हक हिस्से अनुसार काश्त कर हऱे है परन्तु मौके पर हक हिस्सा अनुसार विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में नही होने से काश्त करते समय, घास काते, लगान आदि जमा कराते समय तु, तु, मै, मै होती रहती है इसलिए खाता संख्या 387 व 36 में वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादी का बराबर–बराबर बटवाडा किया जाकर अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी से हक हिस्से अनुसार बडटवाडा फरमाया जावे एवं इसी अनुसार खाते में दर्ज करने का आदेश फरमावे

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

यह कि रेवेन्यु रेकार्ड में कमली बाई, सीताबाई, लालीबाई पिता मांगीलाल एवं केलीबाई पति मांगीलाल धाकड का नाम खाता से हटाये जाने का आदेश फरमाया जावे एवं दोनो खाते में दुरूस्ती की घोषणा फरमाया जावे।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 2 में अ व ब में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा बैंक बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा दुकराई में रहन रख दिया जिससे बैंक मेनेजर साहब को भी उक्त बैंक का प्रतिनिधि करने से उनको प्रतिवादी संख्या 7 पक्षकार बनाया गया है।

यह कि मुझ वादी ने प्रतिवादी को खाते व हक हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने बाबत दिनांक 15.02.2017 को कहा कि तहसील में चलकर बंटवाडा करा लेते है परन्तु प्रतिवादीगण ने कोई घ्यान नही दिया जिससे बिनाय दावा दिनांक 15.02.2017 व उसके बाद निरन्तर जारी है।

वादी न्यायालय श्रीमान् से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है कि :-

1. की खाता संख्या 387 में वर्णित आराजीयात में विभाजन इस प्रकार दर्ज फरमाया जावे कि वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा किया जाकर इसी मुताबीक विभाजन फरमाया जावे एवं खाता अलग-अलग किया जावे।
2. की खाता संख्या 36 में चरण संख्या 2 की (ब) में अंकित आराजीयात में विभाजन इस प्रकार फरमाया जावे कि वादी का 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिसा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्स एवं प्रतिवादी संख्वया 3, 4, 5 का 1/24,1/24, 1/24 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8 हिस्से के मुताबीक किया जाकर विभाजन फरमाया जावे एवं वाद पत्र डिकी फरमाई जावे।
3. कि रेवेन्यु रेकार्ड में खाता संख्या 387 अर्थात वादी की बहीनों एवं माता का नाम हटाये जाने की घोषणा फरमाई जावे एवं खाता संख्या 36 में भी चेतराम के तीनो पुत्रो एवं बरदीबाई फोत हो जाने से एक मात्र वारिस नानालाल का नाम घोषणा फरमाई जावे एवं रेकार्ड में दुरूस्ती फरमाई जावें

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या कि ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, केलाशचन्द्र धाकड द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2,3,5 व 6,7 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र वादी का खारिज किये जाने का निवेदन किया इसके परिप्रेक्ष्य में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत् जवाब दावे को शामिल पत्रावली नही किये जाने का पेश किया । उक्त प्रार्थना-पत्र के निर्णय के पुर्व ही राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त निर्देशों के तहत पत्रावली को सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प आंवलहेडा पर रखायी गयी। वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित आने से पत्रावली में सुनवाई की जाकर वाद प्राथमिक डिकी निम्न प्रकार से किया गया।

" अतः वाद वादी का धारा 53-88 आर.टी.एक्ट का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मोजा आवलहेडा पटवार हल्का आवंलहेडा की संवत् 2072-2075 की खाता संख्या 387 में वादी का 1/2 हक हिस्सा भूमि का व खाता संख्या 36 में वादी का 1/4 हक हिस्से भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर कब्जेनुसार भूमि का विभाजन करने हेतु तहसीलदार सा. बेगूँ को 1000 कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर पत्रावली में डिकी पर्चा अलग से कायम किया जाकर तहसीलदार सां. बेगूँ को पत्र लिखा जावे । पत्रावली में पालना रिपोर्ट चाही जावे वादी द्वारा चाही गई शेष अनुतोष अस्वीकार कर शेष हिस्सा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार रखते हुए पालना रिपोर्ट दिनांक 21.06.2018 को पेश हो। "

उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बेगूँ को बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया जिसकी पालना में उन्होने अपने पत्रांक 575 दिनांक 14.06.2019 से बटवारा प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पत्रावली तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रस्तुत बटवारा रिपोर्ट पर बहस हेतु नियत की गयीं। बहस में वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता प्रस्तुत फर्द बटवारा रिपोर्ट से सहमत हुये तथा मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट वादपत्र अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं फर्द बटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया । फर्द बटवारा रिपोर्ट पत्रावली में जारी की गई प्राथमिक डिक्री अनुसार होने वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादपत्र वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। मोजा आवंलहेडा पटवार हल्का आंवलहेडा तहसील बेगूँ की आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से हिस्सा पृथक–पृथक कर राजस्व रेकार्ड मे खाता पृथक–पृथक अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

1. श्री शांतिलाल पिता मांगीलाल धाकड निवासी आंवलहेडा के खाते में

खाता संख्या	आराजी नं0	रकबा	लगान
387	72	0.3270	2.26
	74	0.1450	0.99
	205	1.4280	9.71
	1027	0.0680	2.95
	1038	0.0150	0.66
	1178	0.1500	5.11
	1247	0.1380	4.69
	1254	0.1210	4.15
	1293	0.1220	0.31
	1447	0.1220	0.30
	1509	0.0690	0.32
	1522	0.1780	0.83
	किता 12	2.8830 हे0	32.29 रूपयें
36	258	0.3160 हे0	2.15 रूपयें

2. रामलाल पिता परथा उर्फ पृथ्वीराज धाकड निवासी आंवलहेडा के खाते में

खाता संख्या	आराजी नं0	रकबा	लगान
387	72	0.3270	2.26
	74	0.1460	0.99
	205	1.3060	8.95
	206	0.0650	0.16
	240	0.3730	2.54
	1027	0.0680	3.39
	1038	0.0160	0.68
	1178	0.1500	5.12

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

	1254	0.1220	4.14
	1293	0.0320	0.07
	1294	0.0890	0.22
	1447	0.1210	0.30
	1509	0.0690	0.32
	किता 14	3.0210 हे0	33.83 रूपयें

3. प्रेमबाई पत्नी रामेश्वरलाल धाकड निवासी आंवलहेडा रहन आईसीआईसीआई बेंक शाखा बेगूँ के खाते में

खाता संख्या	आराजी नं0	रकबा	लगान
387	1522	0.1780	0.83
	किता 1	0.1780 हे0	0.83 रूपयें

4. श्री कन्हैयालाल पिता मांगीलाल धाकड 1/2, नन्दलाल लालुराम पिता चेतराम, अंशुल कुमार, बबली, क ृष्णा रविना पिता उंकार लाल अंशुल कुमार नाबालिग सरपरस्त माता शांतिबाई, शांतिबाई पत्नी स्व0 उंकार लाल 1/2 धाकड साकिन देह रहन बरा0ग्रा0बैंक शाखा ठुकराई हिस्सा नंदलाल का

खाता संख्या	आराजी नं0	रकबा	लगान
36	259	0.3400	2.31
	किता 1	0.3400 हे0	2.31 रूपये

5. श्री शांतिलाल पिता मांगीलाल धाकड 1/2 रामलाल पिता परथा उर्फ पृथ्वीराज 1/2 धाकड साकिन देह खातेदार के खाते में

खाता संख्या	आराजी नं0	रकबा	लगान
387	72	0.0100	—
	205	0.0100	—
	1027	0.0100	—
	1204	0.0730	0.64
	1427	0.0240	0.06
	1428	0.1130	0.28
	किता 6	0.2400 हे0	0.98 रूपये

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के आराजी का अंकन राजस्व रेकार्ड में किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

14/8/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेष 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 29 / 2017

शांतिलाल पिता मांगीलाल धाकड निवासी आवलहेडा तहसील बेगूँ ....वादी

बनाम

1. रामलाल पिता परथिया धाकड निवासी आंवलहेडा तहसील बेगूँ
2. कन्हैयालाल पिता मांगीलाल धाकड निवासी आंवलहेडा तहसील बेगूँ
3. नन्दलाल पिता चेतराम धाकड निवासी आंवलहेडा तहसील बेगूँ
4. उंकार पिता चेतराम धाकड निवासी आंवलहेडा तहसील बेगूँ
5. लालुराम पिता चेतराम धाकड निवासी आंवलहेडा तहसील बेगूँ
6. नानालाल मुतबन्ना माता बरदीबाई पिता मोडा पति सोचन्द धाकड निवासी शादी तहसील बेगूँ
7. मेनेजर साहब, बडोदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई तहसील बेगूँ
8. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय बेगूँ
9. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जरिये राजस्थान सरकार जयपुर जिला कार्यालय चित्तौड़गढ

.................प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ-चित्तौड़गढ़

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल गुरूजी की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 53–88– आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 14.08.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिकी निम्न प्रकार से दी जाती है :–

अतः वादपत्र वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट वादपत्र अंतिम डिकी किया जाता है। मोजा आंवलहेडा पटवार हल्का आंवलहेडा तहसील बेगूँ की आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से हिस्सा पृथक–पृथक कर राजस्व रेकार्ड मे खाता पृथक–पृथक अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

1. श्री शांतिलाल पिता मागीलाल धाकड निवासी आंवलहेडा के खाते में

खाता संख्या	आराजी नं0	रकबा	लगान
387	72	0.3270	2.26
	74	0.1450	0.99
	205	1.4280	9.71
	1027	0.0680	2.95
	1038	0.0150	0.67
	1178	0.1500	5.11
	1247	0.1380	4.69
	1254	0.1210	4.15
	1293	0.1220	0.31
	1447	0.1220	0.30
	1509	0.0690	0.32
	1522	0.1780	0.83
	किता 12	2.8830 हे0	32.29 रूपयें
36	258	0.3160 हे0	2.15 रूपयें

सहायक कलेक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)

बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

2. रामलाल पिता परथिया धाकड निवासी आंवलहेडा के खाते में

खाता संख्या	आराजी नं0	रकबा	लगान
387	72	0.3270	2.26
	74	0.1460	0.99
	205	1.3060	8.95
	206	0.0650	0.16
	240	0.3730	2.54
	1027	0.0680	3.39
	1038	0.0160	0.68
	1178	0.1500	5.12
	1247	0.1370	4.69
	1254	0.1220	4.14
	1293	0.0320	0.07
	1294	0.0890	0.22
	1447	0.1210	0.30
	1509	0.0690	0.32
	किता 14	3.0210 हे0	33.83 रूपयें

3. प्रेमबाई पत्नी रामेश्वरलाल धाकड निवासी आंवलहेडा रहन आईसीआईसीआई बेंक शाखा बेगूँ के खाते में

खाता संख्या	आराजी नं0	रकबा	लगान
387	1522	0.1780	0.83
	किता 1	0.1780 हे0	0.83 रूपयें

4. श्री कन्हैयालाल पिता मांगीलाल धाकड 1/2, नन्दलाल लालुराम पिता चेतराम, अंशुल कुमार, बबली, क ष्णा रविना पिता उंकार लाल अंशुल कुमार नाबालिग सरपरस्त माता शांतिबाई, शांतिबाई पत्नी स्व0 उंकार लाल 1/2 धाकड साकिन देह रहन बरा0ग्रा0बैंक शाखा ठुकराई हिस्सा नंदलाल का

खाता संख्या	आराजी नं0	रकबा	लगान
36	259	0.3400	2.31
	किता 1	0.3400 हे0	2.31 रूपये

5. श्री शांतिलाल पिता मांगीलाल धाकड 1/2 रामलाल पिता परथिया 1/2 धाकड साकिन देह खातेदार के खाते में

खाता संख्या	आराजी नं0	रकबा	लगान
387	72	0.0100	—
	205	0.0100	—
	1027	0.0100	—'
	1204	0.0730	0.64
	1427	0.0240	0.06
	1428	0.1130	0.28
	किता 6	0.2400 हे0	0.98 रूपये

अंतिम डिक्री आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

14/8/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौडगढ

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner